

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 06/2011
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2011/00018
वादी बनाम प्रतिवादीगण

भीखाराम पुत्र राजाराम
जाति मेघवाल
निवासी पाटोदी तहसील पाटोदी
व जिला बालोतरा

1. मोहनलाल के वारिसान
1/1. मोमती उर्फ ममतादेवी पत्नि मोहन
1/2. लक्ष्मण पुत्र मोहन
1/3. भटटराज पुत्र मोहन
1/4. श्रवण पुत्र मोहन
1/5. प्रेम पुत्र मोहन
1/6. सुमित्रा पुत्री मोहन जाति मेघवाल
निवासी रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा
3. सब रजिस्ट्रार पचपदरा
4. लक्ष्मण पुत्र मोहन जाति मेघवाल
निवासी रेवाड़ा मौया तहसील पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. श्री संतोष भंसाली अधिवक्ता वादी
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 04
3. प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6 व 2,3 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक 16.09.2025



1. संक्षिप्त मे वाद-पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 3966/3667 रकबा 63.19 बीघा भूमि अवस्थित हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 सगे भाई हैं, जो राणाराम की संतान हैं। राणाराम ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा कर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को बंट में भूमि बहिस्सा बराबर दी गई। वादी का अपने हिस्से भूमि पर चारो तरफ बांड की हुई हैं। प्रतिवादी संख्या 01

की शादी होने के बाद वे अपने ससुराल रेवाड़ा चला गया और वहीं निवास करता हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाने के लिए कहने पर आन-कानी करने लगा। तब वादी की ओर से वाद प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 को बेचान किया गया,ऐसा बेचान बेअसर व शून्य श्रेणी में आता हैं। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना आधा हिस्सा अर्थात् 31.19 बीघा खातेदारी घोषणा, वाद बंटवाड़ा (पड़ौस खोले अनुसार) व रथाई निषेधाज्ञा जारी करवाने एवं प्रतिवादी संख्या 04 के बेचान-पत्र को बेअसर घोषित करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया गया।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता अचलाराम थोरी द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा उक्त प्रतिवादी की तरफ से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। शेष प्रतिवादी बावजूद तामीली के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3.प्रतिवादी संख्या 01 का लिखित कथनानुसार वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित हैं। वादग्रस्त भूमि का बाहमी तौर पर बंटवाड़ा नहीं हो रखा है,न ही मौके पर वादी के हिस्से भूमि के चारो तरफ बाड़ की हुई हैं। वादग्रस्त भूमि अविभाजित होने के कारण विधिवत बंटवाड़ा के बिना प्रत्येक इंच भूमि पर सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता हैं। वादी का यह कहना गलत है,कि प्रतिवादी संख्या 01 शादी के बाद रेवाड़ा चला गया था,जबकि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर ही रहकर अपने हक हिस्सेनुसार काश्त करता आ रहा है। अतः प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा मंगवाया जावे।

4.प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनो के आधार पर निम्नानुसार विवादयक विरचित किए गए:-

तनकी संख्या 1-आया वादी वाद पत्र के पद संख्या 02 के माफिक भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है ?

जिम्मे-वादी

तनकी संख्या 2-आया वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है ?

जिम्मे-वादी

तनकी संख्या 3-आया वादी प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

जिम्मे-वादी



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 4—आया वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अविभाजित दर्ज होने से बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है ?

जिम्मे—वादी

तनकी संख्या 05—अनुतोष ?

तनकी संख्या 06—आया प्रतिवादी संख्या 01 ने विवादित भूमि का बेचान दौराने दावा हो जाने से प्रतिवादी संख्या 04 का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है ?

जिम्मे—वादी

5.वादी पक्ष ने अपने वाद पत्र को साबित करने में PW.01 भीखाराम स्वयं ने बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। साथ ही बयानात् के समर्थन में प्रदर्श 01—वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रदर्श 02 नक्शा प्रति,प्रदर्श 03 ग्राम पंचायत रेवाड़ा का प्रमाण—पत्र व प्रदर्श 04 निर्वाचन नामावली प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी साक्ष्य में DW.01 लक्ष्मण द्वारा बयानात् कलमबद्ध करवाए गए।

6.हमने दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 3966/3667 रकबा 63.19 बीघा भूमि अवस्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 सगे भाई हैं, जो राणाराम की संतान हैं। प्रतिवादी संख्या 01 राणाराम का बड़ा पुत्र है और वादी छोटा पुत्र हैं। प्रतिवादी संख्या 01 शादी होने के बाद परिवार में सामंजस्य नहीं बढ़ने के कारण अलग होकर अपने ससुराल रेवाड़ा चला गया था और आदिनांक वही निवास करता हैं। इस कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता राणाराम ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि का बाहमी तौर पर बंटवाड़ा कर आधा—आधा हिस्सा वादी व प्रतिवादी को दिया गया। वादी के हिस्से भूमि पर चारो तरफ बाड़ की हुए हैं और उसी में रहवास कर काशत करता आ रहा हैं। वादी के हिस्से भूमि के पड़ोस उत्तर में मेरे भाई प्रतिवादी संख्या 01 से प्राप्त खेत स्थित हैं, जिसमें आगे राणाराम, रामूराम प्रजापत का खेत हैं। दक्षिण में लखारा सोनाराम का खेत, पूर्व में गांव पाटोदी की सरहद स्थित हैं व बीच में रास्ता हैं, पश्चिम में रास्ता हैं, आगे वीराराम भील व नारायणराम भील का खेत हैं। इस प्रकार वादी के हिस्सो की भूमि रकबा 31.19.05 बीघा आती है। वादी ही अपने माता—पिता के साथ रहता था तथा सेवा चाकरी करता था। प्रतिवादी द्वारा कभी भी माता—पिता की सेवा चाकरी नहीं की गई और न ही वादग्रस्त भूमि पर आया हैं। वादी द्वारा दावा लाने से पूर्व प्रतिवादी द्वारा मौके पर दखलदांजी करने की कोशिश किए जाने एवं बंटवाड़ा करवाने का मना किए जाने पर वादी द्वारा वाद पेश किया गया। वाद पेश होने के बाद प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 को 02 बीघा भूमि का बेचान किया गया, जो दौराने दावा बेचान होने के कारण बेअसर व शून्य श्रेणी में हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निवेदन किया की वादी पक्ष की ओर से बयानात एवं दस्तावेजी साक्ष्य से भी वाद पत्र को साबित किया है। अंत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी का प्रतिदावा खारिज कर वादी का वाद माफिक अनुतोष वाद स्वीकार किया जावे।

7. इसके विपरीत प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस है कि वादी की ओर से वाद पत्र 'मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं हैं। क्योंकि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 3966/3667 रकबा 63.19 बीघा भूमि अविभाजित है। वादग्रस्त भूमि सह-खातेदारी में अवस्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी का है तथा अपने-अपने हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रतिवादी का निवास रेवाड़ा में नहीं होकर वादग्रस्त भूमि पर ही है। हर वर्ष अपने हिस्सेनुसार काशत करते हैं। वादी का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त भूमि का राणाराम के जीवनकाल में ही बाहमी तौर से बंटवाड़ा कर भूमि बांट दी गई थी, जबकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते में अवस्थित है और संयुक्त रूप से कब्जा-काशत चला आ रहा है। वादी की ओर से बताए सेढा पडौस मुताबिक कब्जा-काशत नहीं हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया की वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि विभाजित भूमि है, जिसमें आधा-आधा हिस्सा वादी व प्रतिवादी का है। प्रतिवादी के बयानात् से भी वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर माफिक काउण्टर क्लेम अनुसार डिक्री किया जावे।

8. हमने पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। प्रकरण का निस्तारण तनकीवार निम्नानुसार किया जा रहा है।

तनकी संख्या 1 व 2:- सुविधा की दृष्टि एवं तथ्यों के दोहराव से बेचने के लिए उक्त दोनों तनकीयात का विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है।

तनकी संख्या 1- आया वादी वाद पत्र के पद संख्या 02 के माफिक भूमि का खातेदार घोषित करने का अधिकारी है ?

जिम्मे-वादी

तनकी संख्या 2- आया वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी हिस्से का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है ?

जिम्मे-वादी

इस विवादक बिन्दू को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है। वादी की ओर से स्वयं के बयानात् करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 से 04 प्रदर्शित करवाए गए। वादी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

अपने बयानात में यह कहीं साबित नहीं कर पाया कि वाद पत्र के पद संख्या 02 माफिक एवं वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी हिस्से भूमि का खातेदार घोषित होने व बंटवाड़ा करवाने का हकदार हो। वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया कि उसका वाद पत्र पद संख्या 02 माफिक भौके पर कब्जा काशत हैं। वादी की ओर से केवलमात्र मौखिक कथन किए गए, जो दावा स्वीकार करवाने में प्राप्त नहीं हैं, इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य होना आवश्यक होता है, जो की वादी पेश नहीं कर पाया है। इसके अतिरिक्त वादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है, कि वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा को लेकर कोई लिखित नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी मोहन का है तथा प्रतिवादी मोहन द्वारा अपने हिस्से में से ही 02 बीघा भूमि लक्ष्मण को बेचान की गई है। हमने वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी मोहन की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी मोहन का है। जिसे उभय-पक्षकारान अधिवक्ता स्वीकार नहीं करते हैं। प्रदर्श 03 व प्रदर्श 04 प्रतिवादी के निवास संबंधी दस्तावेज हैं, इससे वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी मोहनराम के हक-हकूक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार वादी उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहा है, क्योंकि वादी केवलमात्र मौखिक कथनों के आधार पर विशिष्ट भू-भाग जो वाद पत्र के पद संख्या 02 मुताबिक चाह रहे हैं, जो की प्राप्ति करने के हकदार नहीं हैं। अतः उक्त तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03:- आया वादी प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

जिम्मे-वादी

इस विवादक बिन्दू को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है। वादी व प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार है और रिकार्डेड सहखातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है और न ही वादी यह साबित कर पाया है कि प्रतिवादी वादी की कब्जाशुदा भूमि में दखलदान्जी करता हो। अतः उक्त तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4- आया वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में अविभाजित दर्ज होने से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है ?

जिम्मे-वादी

इस विवादक बिन्दू को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है। पत्रावली के संलग्न रेकॉर्ड अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादी रिकार्डेड सहखातेदार है तथा वादग्रस्त भूमि में आधा हिस्सा वादी व आधा हिस्सा प्रतिवादी पक्ष का है, जिसे उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं ने स्वीकार भी किया है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि में बाई

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवाने का हकदार है। अंत उक्त तनकी वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

5.अनुतोष ?

उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

तनकी संख्या 6.—आया प्रतिवादी संख्या 01 ने विवादित भूमि का बेचान दौराने दावा हो जाने से प्रतिवादी संख्या 04 का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है ?

जिम्मे—वादी

इस विवादक बिन्दू को साबित करने का भार वादी पक्ष पर हैं। पत्रावली के संलग्न उपलब्ध रेकॉर्ड अनुसार दौराने विचारण वाद प्रतिवादी मोहन द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 को 2 बीघा भूमि का बेचान किया गया है, जो कि प्रतिवादी मोहन द्वारा अपने हक हिस्सा मे से किया गया है, जिसमे वादी का हक हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार उक्त तनकी वादी साबित करने मे सफल नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

अनुतोष—उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादी वाद—पत्र में कायम तनकी संख्या 01 से 03 को साबित करने में असफल रहा है तथा तनकी संख्या 04 को साबित करने मे बखूबी सफल रहा है। अतः वादी के वाद—पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,89,91,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी का वाद व प्रतिवादी का प्रतिदावा आंशिक प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 3966/3667 रकबा 63.19 बीघा भूमि मे वादी व प्रतिवादी के राजस्व रेकॉर्ड(जमाबंदी) में इन्द्राज हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By metes and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार पाटोदी को 1000/शुल्क पर कमीशनर मुकर्रर किया जाता है, कमीशनर शुल्क वादी मौके पर अदा करेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में जरिए पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 16/09/2025 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

डिक्री-पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 06/2011
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2011/00018
वादी बनाम प्रतिवादीगण

भीखाराम पुत्र राजाराम
जाति मेघवाल
निवासी पाटोदी तहसील पाटोदी
व जिला बालोतरा

1. मोहनलाल के वारिसान
- 1/1. मोमती उर्फ ममतादेवी पत्नि मोहन
- 1/2. लक्ष्मण पुत्र मोहन
- 1/3. भटटराज पुत्र मोहन
- 1/4. श्रवण पुत्र मोहन
- 1/5. प्रेम पुत्र मोहन
- 1/6. सुमित्रा पुत्री मोहन जाति मेघवाल
निवासी रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा
3. सब रजिस्ट्रार पचपदरा
4. लक्ष्मण पुत्र मोहन जाति मेघवाल निवासी
रेवाड़ा मौया तहसील पचपदरा



राजस्व वाद बाबत:- 88,89,91,53,188

आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 06/2011

निर्णय दिनांक :- 16.9.2025

वादी की ओर से श्री संतोष भंसाली अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 16.9.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,89,91,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा आंशिक प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 3966/3667 रकबा 63.19 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में इन्द्राज हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By metes and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार

सहायक कलक्टर *
(S.D.O.) बालोतरा,

पाटोदी को 1000/शुल्क पर कमीश्नर मुकर्रर किया जाता है, कमीश्नर शुल्क वादी मौके पर अदा करेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनों पक्षों को पूर्व में जरिए पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाय। यह आज तारीख 16.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



[Signature]
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा *

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-----
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमीश्नर की फीस		6. कमीश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	-	जोड़	-----

[Signature]
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा *